न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शामली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 804/2026

विक्की उर्फ विक्रान्त पुत्र ओमबीर सिंह, निवासी ग्राम सींगरा, थाना झिंझाना, जिला शामली।

........आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य **....................विपक्षी,**

मु०अ०सं०–282/2024
धारा– 74, 352, 115(2), 85 बी०एन०एस०व
7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना– झिंझाना, जिला शामली।

दिनांकः–29.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **विक्की उर्फ विक्रान्त** की ओर से बजरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार रविन्द्र कुमार पुत्र ओमबीर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की पत्नी द्वारा आपसी मन–मुटाव के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है , न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। मामले में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका हैं तथा आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है, कथित घटना का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थीया के साथ प्रार्थीया का पति विक्की, सास कमलेश, नन्द रविता, मोनिका, नीरू नन्दोई सतेन्द्र ये सभी मिलकर प्रार्थीया के साथ गाली–गलौज व मारपीट करते हैं तथा प्रार्थीया से पैसो की मांग करते हैं। दिनांक 09.07.2024 को प्रार्थीया व प्रार्थीया की लड़की पीड़िता के साथ विक्की व कमलेश ने मिलकर मारपीट की तथा प्रार्थीया की लड़की पीड़िता को विक्की कमरे में पकड़ कर ले गया तथा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी व पीड़िता के गाल पर काट लिया और पेट में लात मारी। ये सभी मिलकर प्रार्थीया का शारीरिक व मानसिक शोषण करते हैं। प्रार्थीया व प्रार्थीया के बच्चे इनसे काफी परेशान व दुखी हैं। वादिया मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर आवेदक/अभियुक्त व पांच अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 74, 352, 115(2), 85 बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 74, 352, 115(2), 85 बी०एन०एस० व 7/8 पोक्सो अधिनियम प्रेषित किया गया है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया। वादिनी मुकदमा/नाबालिग पीड़िता को नोटिस तामील होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आयी।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादिनी मुकदमा / शिकायतकर्ती आवेदक/अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रान्त की पत्नी है तथा नाबालिग पीड़िता आवेदक/ अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रान्त की सगी बेटी है। नाबालिग पीडिता, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है,

की मेडिकल रिपोर्ट में उसके गाल पर दांत से काटने का निशान पाया गया। आवेदक/अभियुक्त को शराब पीने का आदि होना बताया गया है तथा शराब के नशे में अपने परिवारीजन के साथ मारपीट करता रहता है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया कि वादिनी मुकदमा, जो कि आवेदक/अभियुक्त की पत्नी है, उसकी नजर आवेदक/अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रान्त के हिस्से की जमीन पर है, जिसे वह हड़पना चाहती है, जिसके कारण उसके द्वारा यह फर्जी झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। नाबालिग पीड़िता के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में उसके पापा आवेदक/अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रान्त के द्वारा दिनांक 04.07.2024 को उसकी मम्मी के साथ पारिवारिक लड़ाई में नाबालिग पीड़िता द्वारा अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश की गयी तो, उसे बाल पकड़कर खींचा गया, गाल पर काटा गया तथा लात मारी गयी। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक हिरासत में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का वर्तमान आपराधिक मामले के अतिरिक्त किसी अन्य आपराधिक मुकदमे का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए, गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना तथा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये बी.एन.एस. व पोक्सो एक्ट की धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष की अवधि से कम होने के कारण यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। तदानुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विक्की उर्फ विक्रान्त** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा रुपये 50,000/ (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंध–पत्र और इसी धनराशि के दो प्रतिभू (जिनमें से एक स्थानीय हो) दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. आवेदक/अभियुक्त के द्वारा किसी भी स्तर पर पीड़िता अथवा वादिनी मुकदमा के ऊपर अनैतिक व मानसिक दबाव इस मुकदमे के सिलसिले में नहीं बनाया जायेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त दौराने विचारण साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही उन्हें प्रभावित करेगा।
3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आता रहेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा अभियोजन साक्षी जब न्यायालय में उपस्थित होगा, उपस्थित रहेगा।

दिनांकः–29.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो),
शामली।